

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 54 / 2018
संस्थापन दिनांक—16.04.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

संतोष पिता जतन कोली उम्र 36 वर्ष
निवासी— पिपरी ठीकरी तहसील ठीकरी जिला बडवानी
म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //
(आज दिनांक को घोषित)

01— अभियुक्त **संतोष** के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक **05.03.2018** को **18:05** बजे **जरवाय रोड़ ठीकरी** आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना 15 क्वाटर देशी प्लेन शराब रखने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 05.03.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जरवाय रोड़ ठीकरी से अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान को सूचना से अवगत कराकर दोनों हमराह लेकर मुखबिर के बताये स्थान जरवाय रोड़ ठीकरी पहुँचे तो थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हाथ में थैली लेकर आते देखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, जिसे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम संतोष होना बताया। थैली को चेक करते समय उसमें 15 क्वाटर देशी शराब होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी संतोष का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया

निरंतर.....

जाने से पंचान के समक्ष आरोपी संतोष के कब्जे से 15 क्वाटर देशी शराब जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क0 86/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी संतोष पिता जतन के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी संतोष पिता जतन ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति देशी शराब के 15 क्वाटर रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 500/— रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड जिला बड़वानी म0प्र0